बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग
कार्यालय आदेश

संख्या–नि0 को0 पटना–2049/2013– 04 नि0 रा0, पटना–15, दिनांक– 08-01-14

श्री डॉ0 अयोध्यानाथ शुक्ला, तत्कालीन अंचलाधिकारी, बिहटा, पटना के विरूद्ध प्रबन्ध निदेशक, बियाडा के पत्रांक–2987/डी0 दिनांक–13.05.2013 द्वारा प्रतिवेदित गंभीर आरोपों एवं जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–2025 दिनांक–14.06.2013 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक–635 (नि0को0) दिनांक–17.07.2013 द्वारा श्री शुक्ला को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9 (i) के अन्तर्गत तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

2. श्री शुक्ला को निलंबन के पश्चात विभागीय संकल्प संख्या–699 (नि0को0) दिनांक–31.07.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जांच, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी (विभागीय जांच) द्वारा श्री शुक्ला के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संदर्भ में विस्तृत जांच प्रतिवेदन अपने पत्रांक–367 दिनांक–11.11.2013 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त श्री शुक्ला के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार श्री शुक्ला को तत्कालिक प्रभाव से निलंबन से विमुक्त करते हुए इनके विरूद्ध चलायी जा रही विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

5. श्री शुक्ला के निलम्बन अवधि के बकाया वेतन आदि के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013 04 नि0 रा0/रा0, पटना–15, दिनांक– 08-01-14
प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013 04 नि0 रा0/रा0, पटना–15, दिनांक– 08-01-14
प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रभारी क्षेत्रीय स्थापना, प्रशाखा–3/आप्त सचिव, माननीय मंत्री कोषांग एवं प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–नि0को0 पटना–2049/2013 04 नि0 रा0/रा0, पटना–15, दिनांक– 08-01-14
प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं श्री डॉ0 अयोध्यानाथ शुक्ला, निलंबित अंचलाधिकारी, बिहटा, पटना सम्प्रति मुख्यालय समाहरणालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दीपलाल दीपक)
सरकार के अवर सचिव।

D:\Revenue 2013\Vigilance\Office Order\03-01-2014.docLast printed 1/8/2014 12:59:00 PM